न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—6 / 2017 / 225 (2017 / 00006)

1. रामदेव पुत्र पुत्र छोटू, जाति चमार, नि0 मियां, तहसील सरवाड़, जिला जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामदेव पुत्र हजारी,
2. बन्नालाल पुत्र हजारी (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2 / 1— श्रीमती पारसी पत्नि बन्नालाल,
   2 / 2— प्रधान पुत्र बन्नालाल,
   2 / 3— लाडा पुत्री बन्नालाल,
3. सुखलाल पुत्र हजारी,
4. जगदीश पुत्र हजारी,
   समस्त जाति जाट, निवासी मियां, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, दिनांक 23.12.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 48 / 2011.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2 / 1 से 2 / 3 एवं 4 .
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 5.

(2) अपील संख्याः—29 / 2017 / 225 (2017 / 00029)

1. जगदीश पुत्र हजारी,
2. रामदेव पुत्र हजारी,
3. पारसी पत्नि बन्ना,
4. प्रधान पुत्र बन्ना,
   समस्त जाति जाट, निवासी मीयां, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामदेव पुत्र छोटू, जाति बैरवा, नि0 मीयां, तह0 सरवाड, जिला अजमेर ।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. सुखपाल पुत्र हजारी,
4. लाडा पुत्री बन्ना,
   समस्त जाति जाट, निवासी मीयां, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, दिनांक 23.12.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 48/2011.

उपस्थितः–

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 2.
4. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 व 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 31.12.2019

1. हस्तगत दोनों अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध पृथक–पृथक इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी रामदेव पुत्र छोटू, जाति चमार ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मियां, तह0 सरवाड़ की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में खाता संख्या नया 89 पुराना 94 के खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा बंजर भूमि स्थित है । यह आराजी प्रार्थी रामदेव पुत्र छोटू जाति चमार को दिनांक 2.6.1984 को आवंति हुई थी तभी से प्रार्थी के कब्जे काश्त एव उपयोग व उपभोग में निरन्तर चली आ रही है एवं उक्त भूमि का आवंटन होने के उपरांत प्रार्थी के पक्ष में नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 15.6.1984 से गैर खातेदार में दर्ज हुआ है किन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से उक्त भूमि बिना किसी आधार के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 क्रमशः रामदेव पुत्र हजारी, बन्नालाल, सुखलाल व जगदीश पुत्रगण हजारी, जाति जाट के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत है । प्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसकी वाद वर्णित आराजी बिना किसी आधार के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 जो स्वर्ण जाति के व्यक्ति है । प्रार्थी दिनांक 15.6.2011 को विवादित आराजी को फसल बुआई हेतु हांकने गया तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने ऐलानिया धमकी दी कि आज तो खेत पर आ गया है आईन्दा खेत पर आने की हिम्मत मत करना, खेत हमारे नाम हो गया है और अब हम कब्जा करके रहेगें । इस कारण प्रार्थी/वादी को यह वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 स्वंय को एवं उनके परिवारजन, उत्तराधिकारीगण, हाली, सीरी नौकर–चाकर, मजदूर, मेट व ऐजेन्ट, कारीगर एवं मित्रगण, हितैषी वगैरह को ताफैसला मूल वाद इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित

आराजियात में प्रार्थी के शांतिप्रिय कब्जे काश्त उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करे तथा न ही विवादित आराजी को अन्यंत्र रहन, बेचान, बक्शीश या हस्तातंरण करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2019 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया तथा ग्राम मियां की वादवर्णित आराजी खसरा नंबर 193/26 इनमीडियो होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजियात को रहन, बेचान, बक्शीश या किसी प्रकार से हस्तातंरण नहीं करे । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट रामदेव पुत्र छोटू, जाति चमार ने अपील संख्या 2017/00006 बउनवानी रामदेव बनाम रामदेव एवं अपीलांट जगदीश पुत्र हजारी ने अपील संख्या 2017/00029 बउनवान जगदीश वगै0 बनाम रामदेव इस न्यायालय में पृथक–पृथक पेश की है ।

3. दोनों अपीलों में पक्षकारान, विवादित भूमि समान होने से तथा एक ही आदेश दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध हासेने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस समाहत की जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. अपील संख्या 2017/00006 बउनवान रामदेव पुत्र छोटू बनाम रामदेव पुत्र हजारी में विद्वान वकील अपीलांट श्री अजीतसिंह राठौड़ ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 2.6.1984 को आवंटित की जाकर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया गया था एवं आवंटन की पालना में नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 15.6.1984 को गैर खातेदारी हक से दर्ज किया गया तथा नक्शा ट्रेस में भी खसरा नंबर 193/26 दर्ज किया गया था एवं उक्त नामांतकरण का वर्किग जमाबंदी में अमल दरामद कर दिया गया । उक्त तथ्य रिकार्ड पर प्रस्तुत आवंटन आदेश से स्वंय सिद्ध था जिसके क्रमांक 9 पर रामदेव पुत्र छोटू जाति चमार खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा अंकित है । उक्त तथ्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि आवंटन आदेश की पालना में तस्दीक नामांतकरण संख्या 5 जिसका अमल वर्किग जमाबंदी में किया गया, से भूमि खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा किस्म छापर अपीलांट की आवंटनशुदा गैर खातेदारी तत्पश्चात् खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात होना सिद्ध है लेकिन राजस्व एजेन्सी द्वारा तैयार जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में अपीलांट के नाम खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा किस्म छापर दर्ज करने के बजाय खसरा नंबर 103/36 रकबा 10 बीघा गै0मु0छापर अंकित कर दी एवं खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा किस्म छापर तत्पश्चात् बंजर प्रतिवादीगण जो कि स्वर्ण जाति के व्यक्ति है, के पूर्वज हजारी वल्द करणा जाट के नाम अंकित कर दी गई तत्पश्चात् जरिये नामांतकरण संख्या 22 दिनांक 29.7.1986 को उसकी विरासत प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दी गई जो रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध था । राजस्व ऐजेन्सी द्वारा सहवन की त्रुटिवश दर्ज त्रुटिपूर्ण इद्रांज के आधार पर आवंटनशुदा

आराजी से अपीलांट के हक, अधिकार एवं स्वत्व कतई समाप्त नहीं होते है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा किस्म छापर रेस्पो0 के पूर्वज हजारी पुत्र करणा को किस प्रकार प्राप्त हुई रेस्पो0 सिद्ध करने में असफल रहे है । विवादित भूमि रेस्पो0 को कभी भी आवंटन/नियमन नहीं हुई है बल्कि सहवन से रेस्पो0 के पूर्वज हजारी के नाम दर्ज कर दी गई थी । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बाद आवंटन खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा पर नक्शा ट्रेस में तरमीम कर अपीलांट को काबिज कराया गया था वहीं पर अपीलांट आज दिनांक लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है जिसे रेस्पो0 द्वारा कभी भी बेदखल नहीं किया गया है ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी अपीलांट को आवंटित की जाकर कब्जा व दखल प्रदान किया जाकर खातेदारी प्राप्त होना निर्णय की रूह से स्वीकार किया है । इसी कारण रेस्पो0 को रहन, बेचान, बक्शीश अथवा हस्तातंरण करने से पाबंद किया है लेकिन भूमि को इनमिडियो मानते हुए निर्णय पारित किया है जबकि इनमिडियों मानने के पश्चात् कुर्क करने के बाबत् आदेश पारित करने के अतिरिक्त उनके समक्ष कोई विकल्प शेष नहीं था । अधी0न्याया0 के आदेश की आड़ में रेस्पो0 प्रार्थी/अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 23.12.2006 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की हद तक निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 को अपीलांट की आवंटनशुदा खातेदारी/काश्तकारी की भूमि खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा किस्म छापर पर अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने, जबरन तथा चोरी छिपे फसल काटकर ले जाने, अतिक्रमण करने एवं रहन, बेचान मुंतकिल करने से ताफैसला अपील पाबंद किया जावे । बहस में अपीलांट जगदीश वगैरह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2017/2019 को खारिज करने का भी निवेदन किया ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 2/3 व 4 ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि गिरदावरी संवत् 2044 से 2047 में रेस्पो0 की काश्त दर्ज है । खसर गिरदावरी संवत् 2041 से 2051 में खसरा नंबर 193/26 मु0 केसर बेवा हजारी, रामदेव, बन्नालाल व सुखलाल, जगदीश पि0 हजारी कौम जाट की खातेदारी व काश्त दर्ज है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2052 से 2055 एवं 2056 से 2059 व 2060 से 2063 में भी खातेदारी व काश्त दर्ज है । यह भी कथन किया कि वास्तव में अपीलांटस को खसरा नंबर 193/36 गैर मु0चाह पर आवंटन किया गया था जिस पर अपीलांटस का कब्जा है । अपीलांटस द्वारा सही तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया है । अधी0न्याया0 द्वारा रेस्पो0 को रहन, बैचान, बख्शीश नहीं करने के संबंध में गलत आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा अपील संख्या 2017/29 जगदीश बनाम रामदेव पेश कर रखी है जिसकी सुनवाई भी इसी अपील के साथ की जा रही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. अपील संख्या 2017/00029 बउनवान जगदीश वगैरह बनाम रामदेव पुत्र छोटू, बैरवा में विद्वान वकील अपीलांटस श्री शंकरलाल चौधरी ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश अपीलांटस/अप्रार्थीगण को पाबंद करने की हद तक विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअदांज किया कि जब उन्होंने वर्तमान अपीलांट/प्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित कथनों के अनुसरण एव प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों

के आधार पर प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु उनके पक्ष में साबित नहीं होने के आधार पर प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश पारित करने के बावजूद अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में विरोधाभासी आदेश पारित किया है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट/अप्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि प्रार्थी ने झूंठे व बनावटी कथन अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है । वादवर्णित आराजी पूर्व में अप्रार्थीग्ण/अपीलांटस के पूर्वज की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज थी जिनकी मृत्यु होने के पश्चात् नामांतकरण संख्या 22 दिनांक 29.7.1986 द्वारा विरासत से उक्त आराजी वर्तमान अपीलांटस/अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है । प्रार्थी का विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है न ही राजस्व रिकार्ड में नाम ही दर्ज है । अधी0न्याया0 ने तीनों बिन्दुओं का विवेचन तो सही कर दिया किन्तु अन्त में प्रार्थी को बदनियति पूर्वक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । दिनांक 29.7.1986 से लेकर आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है किन्तु मात्र प्रार्थी ने अपीलांटस/अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से यह वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त योग्य था । विद्वान वकील अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी ने अपने आपको भूमि खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 2.6.1984 को आंवटन होने का कथन किया है जबकि उनको खसरा नंबर 193/36 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन की गई थी । अतः अपील अपीलांटस/अप्रार्थीगण स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 23.12.2016 वर्तमान अपीलांटस/अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने की हद तक निरस्त किया जावे ।।

9. हमनें उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में ग्राम मियां तहसील सरवाड़ स्थित खसरा नंबर 193/26 रामदेव, बन्नालाल, सुखलाल व जगदीश पि0 हजारी, कौम जाट साकिन देह खातेदार व राहिन जगदीश वल्द हजारी 1/4 केकड़ी सहकारी भूमि विकास बैंक के नाम दर्ज है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2041 में खसरा नंबर 193/26 रकबा 15 बीघा में से नामांतकरण संख्या 5 से दिनांक 2.6.1984 को आवंटन कमेटी द्वारा खसरा नंबर 193/26 रकबा 10 बीघा पर रामदेव पुत्र छोटू चमार के नाम दर्ज करने के आदेश एक ही खसरा नंबर 193/26 वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में रामदेव पुत्र छोटू चमार के नाम एवं जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में उक्त भूमि खसरा नंबर 193/26 रामदेव, बन्नालाल वगै0 कौम जाट की खातेदारी मे दर्ज कर रखी है जो कि साक्ष्य एवं जांच का विषय है तथा साक्ष्य उपरांत ही यह तय किया जा सकेगा कि खसरा नंबर 193/26 का वास्तविक काबिज खातेदार कौन है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट रामदेव पुत्र छोटू चमार का प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 द्वारा सही तौर से निरस्त करते हुए दौराने वाद वाद बाहुल्यता की रोक एवं विवादित आराजियात की सुरक्षा हेतु किसी अन्य को रहन, बैचान, बख्शीश या किसी प्रकार से हस्तातंरण नहीं करने का आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि कारित करना प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलांटस निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपीलांट रामदेव पुत्र छोटू, जाति चमार द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2017/00006 एवं जगदीश पुत्र हजारी वगै0 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2017/00029 खारिज की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 को यथावत् रखा जाता है । निर्णय की प्रतियां प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर